विविध बैंक प्रकरण संख्या 115/2019(GCMS : 2019/00192) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> 1. मैसर्स पूजा जनरल स्टोर–प्रो.श्री राजा राम शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल निवासी मैन बाजार, नागपाल मेडिकल स्टोर के पीछे, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर एवं वार्ड नं. 3, नजदीक डिग्री कॉलेज, (नजदीक जैल बस्ती) सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 2. श्री मोहन लाल पुत्र श्री चंदूराम 3. श्रीमती संतोष पत्नी श्री मोहन लाल निवासी वार्ड नं 3, नजदीक डिग्री कॉलेज (नजदीक जैल बस्ती) सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>07.03.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स पूजा जनरल स्टोर –प्रो. राजाराम शर्मा, मोहन लाल एवं संतोष द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में मोहन लाल एवं संतोष द्वारा बंधक रखी गई अपनी सम्पत्ति वार्ड नं. 04/03(क्षेत्रफल 990 वर्गफुट), सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2019 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 06.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी मैसर्स पूजा जनरल स्टोर–प्रो. राजाराम शर्मा, मोहन लाल एवं संतोष के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:53:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एवज में अप्रार्थी मोहन लाल एवं संतोष द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति वार्ड नं. 04/03 (क्षेत्रफल 990 वर्गफुट), सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि ऋणी द्वारा करवा जमा करवा दी गई है इसलिए प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सूरतगढ द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:53:54 IST
Reason: SelfAttested